



आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नई दिल्ली

प्रशिक्षण तथा निगरानी विभाग

दिनांक: 24.10.2026

सूचना

विषय: एमसीसी द्वारा आयोजित नीट पीजी एआईक्यू 2026 काउंसलिंग के माध्यम से आवंटित एनबीईएमएस सीटों की रिपोर्टिंग/ज्वाइनिंग के लिए सलाह और निर्देश

1. मेडिकल काउंसलिंग कमिटी (MCC), DGHS (MoHFW) ने 2026 एडमिशन सत्र के लिए ऑल इंडिया कोटा (AIQ) सीटों हेतु ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड मेरिट-आधारित काउंसलिंग की अधिसूचना जारी कर दी है। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे MCC द्वारा <https://mcc.nic.in/> पर प्रकाशित काउंसलिंग शेड्यूल, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, सर्विस बॉन्ड (यदि कोई हो), काउंसलिंग स्कीम और अन्य नोटिस को ध्यान से पढ़ें और उनके अनुसार पालन करें।
2. **इंट्रा-एमसीसी पोर्टल पर रिपोर्टिंग/ज्वाइनिंग स्थिति का अद्यतन:**
 - 2.1. एनबीईएमएस सीटें पाने वाले उम्मीदवारों को संशोधित काउंसलिंग प्रक्रिया (जैसा कि MCC द्वारा अधिसूचित किया गया है) का पालन करना होगा। MCC द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, संबंधित अस्पताल को तय समय-सीमा के भीतर 'इंट्रा-MCC' पोर्टल पर उम्मीदवार के रिपोर्टिंग/जॉइनिंग स्टेटस को अपडेट करना होगा। यदि अस्पताल रिपोर्टिंग/जॉइनिंग स्टेटस को अपडेट नहीं करता है, तो उस सीट को खाली माना जाएगा और उसे अगले राउंड में शामिल कर लिया जाएगा।
 - 2.2. एनबीईएमएस से मान्यता प्राप्त सभी अस्पतालों को जॉइनिंग के समय निर्धारित मूल दस्तावेजों का सत्यापन करना होगा। अस्पतालों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उम्मीदवार, जिसे सीट आवंटित की गई है, वह 'इन्फॉर्मेशन बुलेटिन' में बताए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो।
 - 2.3. अस्पताल को यह सुनिश्चित करना होगा कि आरक्षित श्रेणी (जैसे SC/ST/OBC(NCL)/EWS आदि) की सीट पाने वाले उम्मीदवार के पास नीट-पीजी 2026 के 'इन्फॉर्मेशन बुलेटिन' में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार सही और वैध श्रेणी प्रमाण-पत्र मौजूद हो।
 - 2.4. यह एनबीईएमएस से मान्यता प्राप्त अस्पताल/संस्थान की जिम्मेदारी होगी कि वह एनबीईएमएस कोर्स में ट्रेनी को शामिल होने की अनुमति देने से पहले यह सुनिश्चित करे कि वह ट्रेनी सभी निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है।

- 2.5. यदि कोई अस्पताल/संस्थान जानबूझकर या लापरवाही से किसी उम्मीदवार को एनबीईएमएस कोर्स में शामिल होने या पंजीकरण के लिए गलत, जाली, अशुद्ध या अधूरी जानकारी/दस्तावेजों को मंजूरी देता है या आगे भेजता है, तो उस अस्पताल/संस्थान के खिलाफ एनबीईएमएस के नियमों, विनियमों, निर्देशों और मान्यता मानदंडों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। इसमें ऐसे प्रत्येक उम्मीदवार के मामले में ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) तक का आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है।
3. फ्लोटिंग' उम्मीदवारों (जिन्होंने राउंड-1 से राउंड-2 और राउंड-2 से राउंड-3 में अपग्रेडेशन का विकल्प चुना है) को MCC द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और काउंसलिंग प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना होगा। NBEMS, MCC द्वारा संचालित काउंसलिंग प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।
4. **वार्षिक कोर्स शुल्क:**
- 4.1. एमसीसी द्वारा आयोजित काउंसलिंग प्रक्रिया में हुए बदलाव को देखते हुए, एनबीईएमएस के सक्षम प्राधिकारी ने यह निर्णय लिया है कि काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान एनबीईएमएस खातों में पहले वर्ष की कोर्स फीस जमा नहीं की जाएगी। जिन उम्मीदवारों को एनबीईएमएस सीट आवंटित की गई है और जो 'फ्रीज' विकल्प चुनकर कोर्स में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें पहले वर्ष की वार्षिक कोर्स फीस उस एनबीईएमएस मान्यता प्राप्त अस्पताल में जमा करनी होगी, जहाँ उन्हें सीट आवंटित की गई है।
- 4.2. जो उम्मीदवार अपनी सीट को अपग्रेड कराने के लिए काउंसलिंग के अगले दौर में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें अपग्रेडेशन का इंतजार करते समय पहले वर्ष की कोर्स फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं है। वे पहले वर्ष की कोर्स फीस सीधे उस संस्थान में जमा करेंगे, जिसे वे अंततः अपनी सीट 'फ्रीज' करके चुनते हैं।
- 4.3. यदि किसी उम्मीदवार ने काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान 'फ्लोट' (अपग्रेड) विकल्प चुना है, तो संबंधित एनबीईएमएस मान्यता प्राप्त संस्थान पहले वर्ष की कोर्स फीस नहीं लेंगे। अस्पताल को केवल उन उम्मीदवारों से कोर्स फीस लेनी है जो कोर्स में शामिल होना चाहते हैं और काउंसलिंग के अगले दौर में अपग्रेडेशन का विकल्प नहीं चुनते हैं।
- 4.4. रिपोर्टिंग/जॉइनिंग की स्थिति को 'इंट्रा-MCC' पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर, सीट को अगले दौर के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा। संस्थानों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वे हर दौर से पहले अपनी सीटों की स्थिति की समीक्षा करें, ताकि सीटों का आवंटन जरूरत से ज्यादा न हो। अस्पताल ध्यान दें कि एमसीसी द्वारा तय की गई समय-सीमा का सख्ती से पालन करना होगा। एनबीईएमएस निर्धारित समय-सीमा में कोई छूट नहीं दे सकेगा।

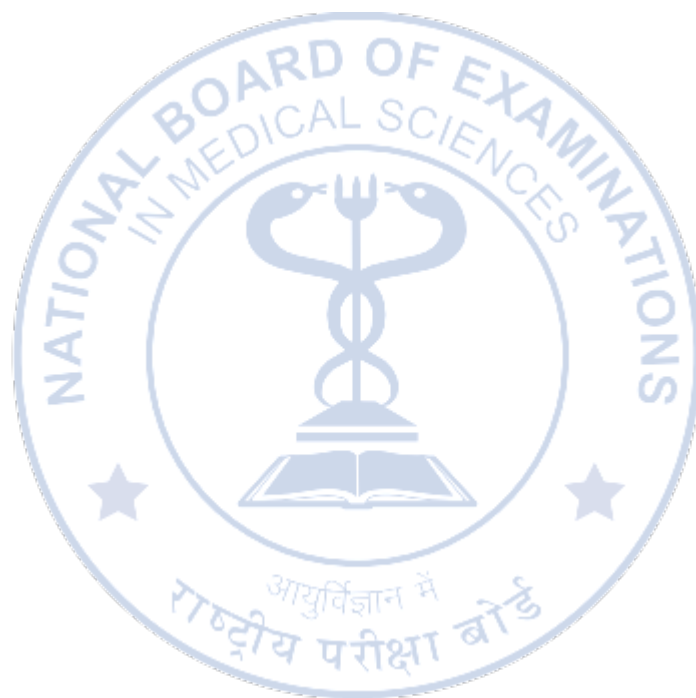
5. उम्मीदवार की मेडिकल जांच एनबीईएमएस से मान्यता प्राप्त संबंधित अस्पतालों के मेडिकल बोर्ड द्वारा की जाएगी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों को कोर्स में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, जिन्हें मेडिकल रूप से फिट पाया जाएगा।
6. **एनबीईएमएस प्रशिक्षण की शुरुआत की तारीख:** जो उम्मीदवार आवंटित सीट पर शामिल होना चाहते हैं और अपग्रेडेशन का विकल्प नहीं चुनते हैं, उन्हें एमसीसी द्वारा जारी काउंसलिंग राउंड की रिपोर्टिंग/जॉइनिंग अवधि के भीतर अपना NBEMS प्रशिक्षण शुरू करना होगा। रिपोर्टिंग/जॉइनिंग की तारीख बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन उम्मीदवारों की सीट काउंसलिंग के अगले दौर में अपग्रेड हो जाती है, उनके लिए प्रशिक्षण की अवधि उस तारीख से मानी जाएगी, जिस दिन वे अपग्रेड की गई सीट पर रिपोर्ट करेंगे या जॉइन करेंगे। यदि सीट अपग्रेड नहीं होती है, तो उम्मीदवार को पहले से आवंटित सीट पर रिपोर्ट करना और जॉइन करना होगा। ऐसे मामले में, प्रशिक्षण की गिनती उस तारीख से शुरू होगी, जिस दिन उम्मीदवार काउंसलिंग के संबंधित राउंड के लिए तय की गई रिपोर्टिंग/जॉइनिंग अवधि के भीतर सीट जॉइन करेगा।
7. **उम्मीदवार जो कहीं कार्यरत हैं या किसी प्रकार के सर्विस बॉन्ड से बंधे हैं:**
- 7.1. जो उम्मीदवार केंद्र सरकार, राज्य सरकार, रेलवे, PSU, ESI या किसी अन्य सरकारी संगठन में कार्यरत हैं और/या किसी प्रकार के सर्विस बॉन्ड से बंधे हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि NBEMS कोर्स में शामिल होते समय उनके पास अपने मूल संगठन से जारी "नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC)" हो जिसमें अध्ययन अवकाश की मंजूरी या रिलीविंग ऑर्डर शामिल होना चाहिए।
- 7.2. मूल संगठन से विधिवत कार्यमुक्त हुए बिना कोर्स में शामिल होने को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 7.3. यदि किसी उम्मीदवार को अपने मूल संगठन से कार्यमुक्त होने में लगने वाले समय के कारण कोर्स में शामिल होने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए, तो उसे अपने आवंटित संस्थान में रिपोर्ट करना होगा। साथ ही, उसे अपने दस्तावेजों का सत्यापन पूरा करना होगा, पहले वर्ष की वार्षिक कोर्स फीस का भुगतान करना होगा और NBEMS से शामिल होने के लिए समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध करना होगा।
- 7.4. ऐसा एक्सटेंशन अपने आप नहीं मिलेगा। यह सीट आवंटन की तारीख से अधिकतम 90 दिनों तक के लिए दिया जा सकता है। इसके लिए उम्मीदवार को अपने मूल संगठन से NOC या इस्तीफा पत्र जमा करने की पावती प्रस्तुत करनी होगी। DNB ट्रेनिंग तभी शुरू होगी जब उम्मीदवार अपने मूल संगठन से पूरी DNB ट्रेनिंग अवधि के लिए रिलीविंग लेटर जमा कर देगा।
8. **जॉइनिंग और रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल (OPJR):** MCC द्वारा आयोजित NEET PG 2026 काउंसलिंग के सभी राउंड पूरे होने के बाद NBEMS का OPJR पोर्टल सक्रिय कर दिया जाएगा। इस संबंध में बाद में एक विस्तृत सूचना जारी की जाएगी। काउंसलिंग के सभी राउंड पूरे होने के बाद, उम्मीदवार और अस्पताल इस पोर्टल के माध्यम से अपना जॉइनिंग स्टेटस और दस्तावेज NBEMS को जमा कर सकते हैं।

9. काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया MCC से <https://mcc.nic.in/> पर संपर्क करें।
10. NBEMS से संबंधित किसी भी सवाल के लिए, कृपया उनके कम्युनिकेशन वेब पोर्टल के माध्यम से संपर्क करें: <https://exam.natboard.edu.in/communication.php?page=main>

नोट: अंग्रेजी संस्करण और हिंदी संस्करण के बीच किसी भी विसंगति, असंगति या अर्थ में अंतर की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को अंतिम और बाध्यकारी पाठ के रूप में माना जाएगा।



एनबीईएमएस





**NATIONAL BOARD OF EXAMINATIONS
IN MEDICAL SCIENCES
NEW DELHI**

Department of Training and Monitoring

Date: 24.10.2026

NOTICE

Subject: Advisory & Instructions for Reporting/Joining of NBEMS Seats allotted through NEET PG AIQ 2026 Counseling conducted by MCC

1. The Online Centralized Merit-Based Counselling for All India Quota (AIQ) seats for the 2026 admission session has been notified by the Medical Counselling Committee (MCC), DGHS (MoHFW). All the candidates are advised to carefully go through the counselling schedule, information bulletin, service bond (if any), counselling scheme, and other notices published by MCC at <https://mcc.nic.in/> and comply accordingly.
2. **Updation of Reporting/Joining Status on Intra-MCC Portal:**
 - 2.1. Candidates allotted with NBEMS seats must follow the revised counseling process (as notified by MCC) & the reporting/joining status to be updated on the Intra-MCC portal within the prescribed timeline by the concerned hospital as per the schedule notified by MCC. Failure of the hospital to update the reporting/joining status will result in the seat being treated as vacant and carried forward to the next round.
 - 2.2. All NBEMS-accredited hospitals are required to verify the prescribed original documents at the time of joining. Hospitals must ensure the fulfilment of eligibility criteria by the candidate for admission to the allotted seat, as detailed in the information bulletin.
 - 2.3. The hospital has to ensure that the candidate allotted with reserved category seats (i.e. SC/ST/OBC(NCL)/EWS etc.) should possess the correct and valid category certificate as per the guidelines prescribed in information bulletin of NEET-PG 2026.
 - 2.4. It shall be the responsibility of the NBEMS-accredited hospital/institute to ensure that the trainee fulfils the prescribed eligibility criteria before permitting the trainee to join the NBEMS course.
 - 2.5. In case any hospital/institute is found to have knowingly or negligently

approved/forwarded false, fabricated, incorrect or otherwise deficient records/information/documents for the purpose of permitting a candidate to join an NBEMS course or for registration, the hospital/institute shall be liable for appropriate action under the applicable NBEMS rules, regulations, directions and accreditation norms, including imposition of monetary penalty of ₹1,00,000/- (Rupees One Lakh) per such candidate, wherever applicable.

3. 'Floating' candidates (those who have opted for upgradation from Round 1 to Round 2, and from Round 2 to Round 3) must strictly adhere to the guidelines and the counselling process issued by the MCC. NBEMS will not intervene in the counselling process conducted by the MCC.

4. Annual Course Fee:

- 4.1. In view of the change in process of counseling conducted by MCC, the competent authority of NBEMS has decided not to collect the 1st year course fee in NBEMS accounts during the counseling process and the candidate allotted with NBEMS seat & finally willing to join the course by exercising FREEZE option, are required to pay the 1st-year annual course fee to NBEMS Accredited hospital where the candidate has been allotted with the seat.

- 4.2. **Such candidates who are willing to participate in subsequent round of counseling for upgradation of seat, are not required to pay the 1st year course fee while awaiting upgradation.** They shall pay the 1st year course fee directly to the institute which they finally decide to join by freezing the seat.

- 4.3. The concerned NBEMS accredited institutes shall not collect the 1st year course fee if the candidate has chosen the FLOAT (UPGRADE) option during the counseling process. The hospital is required to collect the course fee from the candidates who is willing to join and do not opt for upgradation in subsequent round of counseling.

- 4.4. The reporting/joining status must be updated accordingly on the Intra-MCC portal. Failure to do so will result in the seat being carried forward to the next round. Institutes must also review their seat positions before each round to avoid excess allotment. The hospitals may note that the timelines prescribed by MCC have to be strictly adhered to. NBEMS shall not be able to give any relaxation in the prescribed timelines.

5. The medical examination of the candidate shall be conducted by the Medical Board of the

concerned NBEMS-accredited hospitals. Only those candidates found medically fit shall be allowed to join the course.

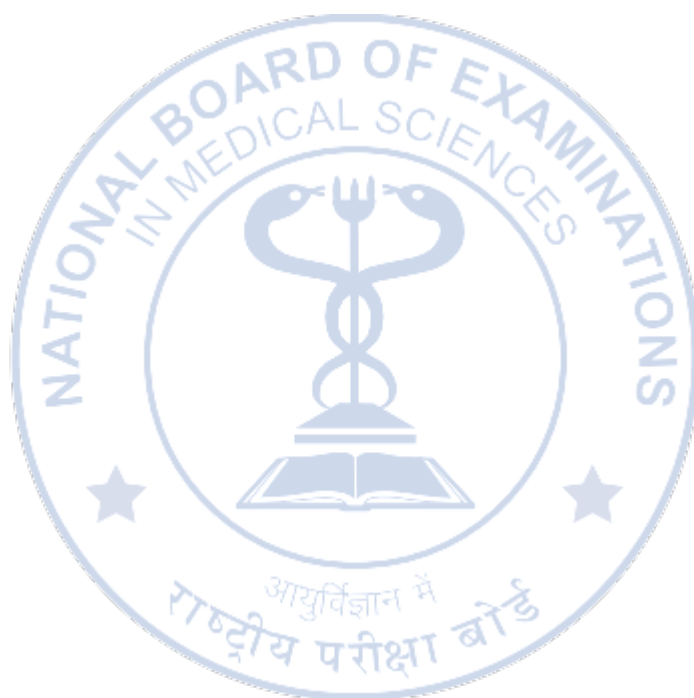
6. **Start Date of NBEMS Training:** The candidates who are willing to join the allotted seat and do not opt for upgradation, are required to join their NBEMS training within the reporting/joining window of the respective counselling round as published by MCC. No extension in the date of reporting/joining shall be permitted. For candidates who are upgraded in subsequent rounds of the counseling, the training period will be considered from the date of reporting/joining to the upgraded seat. If the seat is not upgraded, the candidate will be required to report and join the already allotted seat and the training will be counted from the date of joining within the prescribed window of reporting/joining of respective round of counseling.
7. **Candidates under employment or any kind of service bond:**
 - 7.1. Candidates who are employed and/or any kind of service bond with central govt./state govt./ railways/PSU/ESI or any other govt. organization should ensure that they are in possession of a “No Objection Certificate (NOC)” including grant of study leave/relieving order from their parent organization at the time of joining of the NBEMS course.
 - 7.2. The joining before the proper relieving form the parent organization shall not be considered under any circumstances.
 - 7.3. Those who require extension for joining the course on account of time required to get relieved from their parent organization should report to their allotted institutions and complete document verification and payment of 1st year annual course fee while submitting a request for seeking extension to join to NBEMS.
 - 7.4. Such an extension shall not be automatic and will be allowed to a maximum period of 90 days from the date of seat allotment & shall be subject to production of a NOC from the parent organization/ acknowledgement letter from parent organization of submission of resignation letter. DNB training shall start only after the relieving letter from the parent organization for the entire duration of DNB training trainee is furnished.
8. **Online Portal for Joining & Registration (OPJR):** The NBEMS OPJR portal will be activated after completion of all rounds of NEET PG 2026 counselling conducted by MCC and shall remain INACTIVE until then. A separate detailed notice will be published in due

course. This portal is meant for the candidates and the hospitals to submit their joining status and documents to NBEMS after all rounds of the counselling are over.

9. For further clarification regarding the counselling process, please contact MCC at <https://mcc.nic.in/>

10. For queries regarding NBEMS, please contact NBEMS through its Communication Web Portal: <https://exam.natboard.edu.in/communication.php?page=main>

Note: In the event of any discrepancy, inconsistency, or difference in meaning between the English version and the Hindi version, the English version shall be construed as the final and binding text.



NBEMS